

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3809/111/2013 विरुद्ध आदेश दिनांक 15-10-13 --  
पारित--अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर--प्रकरण क्रमांक 91/अ-6/2012-13 अपील

प्रताप नारायण पुत्र देवशंकर राव

निवासी ग्राम टुरया तहसील

एवं जिला छतरपुर मध्य प्रदेश।

--आवेदक

विरुद्ध

1- श्रीमती गीताराव पत्नि अडेभाई

ग्राम टुरया तहसील छतरपुर, म०प्र०

2- मध्य प्रदेश शासन

--अनावेदक गण

आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव

अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव


अनावेदक 2 शासन के पैनल अभिभाषक श्रीमती नीना पांडे

आदेश

(आज दिनांक 2-4 - 2014 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-13 के विरुद्ध म०प्र०भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारोश यह है कि अनावेदक क्रमांक-1 ने ग्राम टुरया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 290, 292 कुल रकबा 1.724 हैक्टर पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28-11-83 से कय की तथा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 10 /82-83 से उसका कय की गई भूमि में से दीनदयाल के नाम की भूमि पर नामान्तरण हो गया, किंतु आवेदक द्वारा विक्रीत की गई भूमि नामान्तरण करना रह




गया, तब अनावेदक कमांक-1 ने नायब तहसीलदार वृत्त महेवा छतरपुर के समक्ष तदाशय का आवेदन दिया। नायब तहसीलदार वृत्त महेवा छतरपुर ने प्रकरण कमांक 2/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 8-2-13 से आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक कमांक-1 ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत की एवं विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 91/अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-13 से विलम्ब क्षमा कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।


4/ पक्षकारों के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि नायब तहसीलदार वृत्त महेवा छतरपुर के प्रकरण कमांक 2/अ-6/12-13 में पारित आदेश दिनांक 8-2-13 के विरुद्ध अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 26-4-13 को अर्थात् 76 दिवस के अंतर से अपील प्रस्तुत हुई जबकि इस हेतु 30 दिवस की समय-सीमा है। नायब तहसीलदार वृत्त महेवा छतरपुर के प्रकरण कमांक 2/अ-6/12-13 की आर्डरशीट दिनांक 8-2-13 के अवलोकन पर पाया गया कि यह आदेश अनावेदक के अभिभाषक को दिनांक 17-4-13 को टीप कराया गया है जिनके आर्डरशीट के हासिये में हस्ताक्षर हैं।

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)-धारा 47 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा 5 - पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा 5 एवं भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)-धारा 47 सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एवं पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रुख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।



प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार तथा अवधि विधान की धारा-5 में दिये गये कारण विश्वसनीय होने से अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने अंतरिम आदेश दिनांक 15.10.2013 से विलम्ब क्षमा किया है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 91/अ-6/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-13 स्थिर रहता है।

  
(अशोक शिवहरे)  
सदस्य  
राजस्व मंडल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर